

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,  
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय,  
भागलपुर।

पटना, दिनांक-29/03/2018

विषय:- जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त वेतन एवं भत्ते तथा छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल रू० 1,16,39,000/- (रूपये एक करोड़ सोलह लाख उन्चालिस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर के पत्रांक-326, दिनांक-06.02.2018 के आलोक में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को विपत्र कोड-20-2210051050010 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त वेतन एवं भत्ते तथा छात्रवृत्ति/वजीफा मद में कुल रू० 1,16,39,000/- (रूपये एक करोड़ सोलह लाख उन्चालिस हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का कुल आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0010.01.01 वेतन	96050000	4748000	100798000	96050000	4748000	100798000	0
0010.01.03 जीवन यापन भत्ता	133181000	4480000	137661000	133181000	4480000	137661000	0
0010.01.04 मकान किराया भत्ता	8019000	600000	8619000	8019000	600000	8619000	0
0010.01.06 चिकित्सा भत्ता	420000	15000	435000	420000	15000	435000	0
0010.01.07 अन्य भत्ता	50000	5000	55000	50000	5000	55000	0
योग-वेतन एवं भत्ते	237720000	9848000	247568000	237720000	9848000	247568000	0
0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा	20000000	1791000	21791000	20000000	1791000	21791000	0
कुल योग-	257720000	11639000	269359000	257720000	11639000	269359000	0


2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।



4. इस राशि के व्यय का वहन व्यय माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105- एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त स्वीकृत्यादेश सं0-383(1) दिनांक-29.03.2018 द्वारा प्राप्त राशि से किया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
(सच्चिदानन्द चौधरी) 29/3/18


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज0कॉ0-03/2017-133(1)कॉ0 /स्वा0, पटना, दिनांक-29/03/2018

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:-** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव 29/3/18

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/ज0ने0मे0कॉ0-01/2018- 383(1)/स्वा0, पटना, दिनांक-29/03/2018

सेवा में,

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

\*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते तथा छात्रवृत्ति/वजीफा मद में रू0 1,16,39,000/- (रुपये एक करोड़ सोलह लाख उन्चालिस हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते तथा 0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में रू0 1,16,39,000/- (रुपये एक करोड़ सोलह लाख उन्चालिस हजार) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0-2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(सच्चिदानन्द चौधरी) 29/3/18  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/ज0ने0मे0कॉ0-01/2018- 383(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-29/03/2018

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव 29/3/18

अतिरिक्त/ अनुदान

के लिए आवेदन-पत्र

पुनर्विनियोग

15

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

\*अनौपचारिक  
रूप से  
परामर्शित

\*द्वारा- वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-1/ज०ने०मे०कॉ०-01/2018- 332(1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 19/03/2018

मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते तथा छात्रवृत्ति/वजीफा मद में रू० 1,16,39,000/- (रुपये एक करोड़ सोलह लाख उन्चालिस हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति के प्रसंग में वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित।

2. अतिरिक्त/ अनुदान मांग सं०-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर

नियंत्रण पदाधिकारी का पदनाम- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

अतिरिक्त/अनुदान मांग सं०-20


पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो।

पुनर्विनियोग

मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050010 के वेतन एवं भत्ते तथा 0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा मद में रू० 1,16,39,000/- (रुपये एक करोड़ सोलह लाख उन्चालिस हजार) मात्र की राशि कर्मियों के वेतन एवं भत्ते तथा छात्रा/छात्राओं के छात्रवृत्ति के भुगतान की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु नितान्त आवश्यकता है।

मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड-20-2210011100006 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0006.28.02 संविदा सेवायें मद में कुल रू० 1,16,39,000/- (रुपये एक करोड़ सोलह लाख उन्चालिस हजार) मात्र के बचत की संभावना है, जिसे प्रत्यर्पित करते हुए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित है।

पुनर्विनियोग की राशि बजट उपबंध के 25% के अंदर है।

  
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची 53-प्रपत्र सं0-221

मॉग सं0-20

अनुदान/विनियोग

मॉग सं0-20

मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105- एलओपी-0010- भागलपुर मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड- 20-2210051050010

मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलओपी-110-अस्पताल तथा आशुताय-0006-मध्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया, विपत्र कोड- 20-2210011100006

शीर्ष जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।						शीर्ष जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राककलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक प्राककलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान को जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राककलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक लिए गए प्राककलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यर्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0		₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
0010.01.01 वेतन	96050000	96050000	100798000	4748000	100798000	0006.28.02 सचिवा सेवाएँ	1000000000	1000000000	88361000	11639000	88361000
0010.01.03 जीवन यापन भत्ता	133181000	133181000	137661000	4480000	137661000						
0010.01.04 मकान किराया भत्ता	8019000	8019000	8619000	600000	8619000						
0010.01.06 चिकित्सा भत्ता	420000	420000	435000	15000	435000						
0010.01.07 अन्य भत्ता	50000	50000	55000	5000	55000						
योग-वेतन एवं भत्ते	237720000	237720000	247568000	9848000	247568000						
0010.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा कुल-	20000000	20000000	21791000	1791000	21791000						
				11639000		कुल-				11639000	

332(1)

19-03-2018

सरकार के संयुक्त सचिव

